

# मजुरी देनगी अधिनियम, १९३६ और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम की संशोधित संक्षिप्तियाँ

(१) अधिनियम किन पर लागू होता है : अधिनियम किसी कारखाने में 800 रुपये प्रति मारस से कम मजुरी पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है ।

(२) कोई भी व्यक्ति इस नियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों को संविदा अथवा सहमति द्वारा नहीं छोड़ सकता ।

(३) मजुरी की परिभाषा : मजुरी में हर प्रकार का पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में भत्तों के रूप में या किसी अन्य रूप में हो) अभिप्राय है, जो कि एक कर्मचारी को रोजगार के संविदा को पूरा करने पर मिलना चाहिये ।

इन्में निम्नलिखित पारिश्रमिक शामिल है :-

- (क) किसी पंचाट, नियोजक और नियोजित व्यक्ति के बीच हुए किसी समझौते अथवा न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत दिया जाने वाला पारिश्रमिक ।
- (ख) अतिरिक्त (ओवरटाइमिंग) का आम घुट्टियों व घुष्टी लेने के सम्बन्ध में पारिश्रमिक ।
- (ग) नियोजन की शर्तों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अतिरिक्त पारिश्रमिक (उसे वेतनस का नाम दिया जाता हो या कोई अन्य नाम) ।
- (घ) किसी अधिनियम संविदा आदि के अन्तर्गत नियोजन के समर्थिक के बाद दिया जाने वाले पारिश्रमिक ।
- (ङ) किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी स्कीम के अन्तर्गत समय-समय पर दिया जाने वाले पारिश्रमिक ।

परन्तु इन्में यह पारिश्रमिक शामिल नहीं है :-

- (क) ऐसा वेतनस जोकि रोजगार की शर्तों के अन्तर्गत दिये जाने वाले पारिश्रमिक का भाग न हो अथवा जिसकी मजुरी का किसी पंचाट, नियोजक व नियोजित व्यक्तियों के बीच किसी समझौते अथवा न्यायालय की आज्ञा में प्रवचन न किया गया हो ।
- (ख) सर्वसु स्थान का भूस्व, या मिलनी, पानी, डाक्टरी सहायता या कोई अन्य सुविधा व सेवा, जिन्हें कि राज्य सरकार की आम या विशेष आज्ञा में मजुरी छोड़ने के लिए शामिल न किया गया हो ।
- (ग) नियोजकों द्वारा भूस्व नियुक्ति वेतन या भविष्य निधि में दिया गया स्वयम और उसा पर दानने वाला भ्रामा ।
- (घ) यात्रा का भता या किसी यात्रा की रियायत का भूस्व ।
- (ङ) अपनी नौकरी के नाले होने वाले विशेष खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को दी गई रकम ।
- (च) उपरोक्ता ३ (घ) में बतलाये गये मामलों के अतिरिक्त नौकरी के खतम होने पर दी जाने वाला कोई अन्य देय देय उपदान ।
- (६) अत्याग की जिम्मेदारी व तथीका : कारखाने का नियोजक अपने नौके काम करने वाले कर्मचारियों को मजुरी अधिनियम के अन्तर्गत देय का किन्मतदार होना और जो ठेकेदार जिनमें आदिभित्तों को अपने काम पर लगानेगा, उनको मजुरी अदा करने का वह किन्मतदार होगा ।
- (७) मजुरी देने के लिए समय निश्चित कर दिये जायेंगे और यह एक महीने से अधिक अवधि के नहीं होंगे ।
- (८) मजुरी काम करने के दिन, मजुरी देने के निश्चित समय के समाप्त होने के सात दिन (और यदि 9000 या इससे अधिक व्यक्ति काम पर लगा रखे हों तो ७0 दिन के अन्दर-अन्दर देय होंगी । जिस व्यक्ति को नौकरी से हटा दिया गया हो, उसे नौकरी से हटाने के बाद अगले काम के दिन अवयव ही मजुरी मिल जानी चाहिये ।
- (९) भाल सामान में अत्याग की वार्ड नहीं होंगी चाहिये । परमाण मजुरीयें चालू रिकवर्स व करंसी नोट या दोनों में दी जानी चाहिये ।
- (८) जुर्मिन और कर्टसी : इस अधिनियम (सिधे रिशे गस ६-७8 तक के पैरा देखिये) के अन्तर्गत निर्धारित कर्टसी के अतिरिक्त मजुरी से और कोई कर्टसी नहीं की जायेगी ।
- (९) जुर्मिनो केवल उन्ही कामों व लागवणों के लिए हो सकता है, जिनके बारे में भासिक ने दीफ इन्स्पेक्टर (फैक्टरीज) की पूर्ण आज्ञा से कारखाने के मुख्या द्वारा पर या इसके पास नोटिस लगा रखा हो, और कर्मचारी को अपना धन प्रयुक्त करने का अवसर दिया गया हो ।

जुर्मिनो :-

- (क) रुपये में २ (दुसरो) पैसे से अधिक न हो ।
- (ख) किसी में वसूल नहीं किये जायेंगे और न ही इनके लगाने के ६0 दिनों के बाद पर्युल किये जा सकेंगे ।
- (ग) एक रजिस्टर में इनका रिकार्ड रखा जायेगा और दीफ इन्स्पेक्टर (फैक्टरीज) में मन्व्य बुला कर कर्मचारियों के नाले के कामों में प्रयुक्त किया जायेगा ।
- (घ) बच्चों पर नहीं लगाने जायेंगे ।
- (७0) झूटरी से भैरवाजिन रहने के कारण की जाने वाली कर्टसी केवल तभी की जा सकती है जबकि कर्मचारी उस वक्ता भैरवाजिन रखे हो जबकि उसे झूटरी पर होना चाहिये था । और यह उस रकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिये जो कि कुल समय के मुताबिक उस समय की उजरत बनती है ।
- यदि दस या इससे अधिक कर्मचारी आपस में मिलकर बिना सहित से नोटिस दिये और बिना किसी उचित कारण के भैरवाजिन रखे तो नोटिस के बदले में ८ दिन की मजुरी काटी जा सकती है, लेकिन
- (क) किसी १५ वर्ष की कम आयु के लड़कों व महिला से संविदा तोड़ने पर कोई कर्टसी नहीं की जायेगी ।
- (ख) नौकरी के सहीदे में यह भी लिखा होना चाहिये कि कर्मचारी को काम छोड़ने से पहले एक विशेष अवधि जो कि १५ दिनों से अधिक न हो, या फिर जितनी अवधि का मजुरी अपने कर्मचारी को निकालने से पहले नोटिस देगा, उतनी अवधि का नोटिस देना होगा और इस नोटिस के बदले में नियोजक काटी जा सकती है ।
- (ग) उपरोक्ता अनुबन्ध को कारखाने के मुख्या द्वारा पर या इसके समीप लिखवा देना चाहिये ।
- (घ) इस प्रकार की कर्टसी तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इस अभिप्राय का नोटिस कारखाने से मुख्या द्वारा पर इसके पास न लगा दिया गया हो ।
- (ङ) यह कर्टसी उस अवधि की उजरत से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसकी कि कर्मचारी द्वारा वास्तव में दिये गये नोटिस की अवधि, करार के अन्तर्गत दिये जाने वाले नोटिस की अवधि से कम हो ।
- (७१) ऐसे सामान को जुकरसान पर्युत्पन्ने व गुम होने के बदले कर्मचारी की उजरत से कर्टसी की जा सकती है, जो कि उसकी नियमनी में रखा गया हो और ऐसे रुपये पैसे के कम हो जाने की खूता में भी कर्टसी की जा सकती, जिसका कि उसे हिस्सा देना हो । परन्तु इन दोनों हालतों में जुकरसान कर्मचारी की लागवणों की जा त्रुटि के कारण हुआ हो ।
- (७२) पर के स्थान के रिशे कर्टसी की जा सकती है, यदि यह पर भासिक कारखाना, सरकार या उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी गृह निर्माण मंडल द्वारा गया हो (चाहे कर्मचारी सरकारसे नौकरी अथवा उस मंडल की नौकरी करता हो या न करता हो) या फिर किसी और संस्था की और से दिया गया हो जो कि पुरो के लिए अधिक सहायता देने के काम में तभी रुई हो और इस बारे में राज्य सरकार द्वारा सरकारसे राजपत्र में इस मतलब का नोटिफिकेशन जारी किया गया हो ।

(१३) भासिक द्वारा उक्तवचन की गई सुविधाओं व सेवाओं (जोखाले व कच्चे भाल को छोड़कर) की कीमत के बराबर कर्टसी की जा सकती है, यदि यह बात कर्मचारी द्वारा रोजगार के करार के एक भाग के तौर पर मजूर की गई हो और सरकार ने इस बारे में मजुरी दे दी हो ।

(१४) कर्मचारी द्वारा लिखित अधिकार देने के बाद जीवन, बीमा नियम अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत स्थापित जीवन बीमा नियम को उसकी जीवन बीमा पॉलिसी की कोई परीक्षण को अत्याग करने के लिए कर्टसी की जा सकती है अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की रिकगुटिदियाँ खरीदने या किसी सरकारी बचत योजना के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए कर्टसी की जा सकती है ।

(१५) (क) पेशगी दी गई रकम को वसूल करने या अधिक दी गई मजुरी को प्राप्त करने के लिए कर्टसी की जा सकती है ।

(ख) नौकरी पर काम शुरू करने से पहले कर्मचारी को दी गई पेशगी रकम उजरत, देने के निश्चित समय के पूरे होने पर पहली बार दी जाने वाली उजरत से ही काटी जा सकती है, लेकिन नौकरी पर काम शुरू करने से पहले समय खर्च के लिए दी गई पेशगी रकम वसूल नहीं की जा सकती ।

(ग) अपने कर्माई जाने वाली उजरतों के बदले पेशगी, नौकरी के दौरान भासिक की इच्छा पर दी जा सकती है । परन्तु यह पेशगी बिना किसी इन्स्पेक्टर की इजाजत लिए बिना दी नहीं के उजरत से अधिक नहीं होनी चाहिये । पेशगी रकम किसी में वसूल की जा सकती है, परन्तु यह खिलने १२ महीने से अधिक समय तक नहीं चलनी चाहिये और ना ही कोई किसी एक निश्चित समय के लिए दी जाने वाली उजरत के एक बटा तीन भाग (और यदि उजरत २0 रुपये से कम हो तो एक बटा चार भाग) से अधिक न हो ।

(१६) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में रूपया देने या वहाँ से ली गई पेशगी रकम को वापिस करने के लिए कर्टसी की जा सकती है ।

(१७) स्थानीय सरकार द्वारा मजूर बुला किसी सहकारी समा को अत्याग करने के लिए या पोस्टल इशियुर्स (स्थानीय सरकार द्वारा यदि कोई शर्त लगाई गई हो तो उनको ध्यान में रखते हुए) में रूपया देने के लिए कर्टसी की जा सकती है ।

इन हालतों में कर्टसी नहीं की जा सकती :-

- (१८) दीफ और परमोल कारण के होते हुए किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित जुर्मिनो लगाने से उजरतों में होने वाली कमी की कर्टसी नहीं की जा सकती । पर भासिक द्वारा ऐसे जुर्मिनो लगाने के लिए स्वयंभू गए नियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में जारी की गई कुछ आवश्यकताओं, यदि कोई हों, की पूर्ति करते हों ।
- (१९) उजरतों में होने वाली वृद्धि को या तरफकी नये रोक दिया गया हो (द्विस्तारबोध पर उजरतों में नौकी वृद्धि भी शामिल है) ।
- (२०) पर घटा देना या उजरतों के कम रखेन पर लगा देना या उस समय चालू स्कूल में काम खतर कर देना या
- (ग) भुगतानी ।

(१९) निरीक्षण : इन्स्पेक्टर किसी भी कारखाने में जा सकता है और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु निरीक्षण (रिपयों) कानजाल का निरीक्षण कराना व गवाहियाँ लेना भी शामिल है) कर सकता है ।

(२0) कर्टसी व देर होने की शिकायतें :-

(क) जब अभियमित रूप से मजुरी में कर्टसी की गई हो या अत्याग में देर की गई हो तो कर्मचारी ६ महीने के अन्दर-अन्दर एक लिखित फार्म पर अपना प्रार्थना पत्र इस उद्देश्य के लिए स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को दे दे । यदि देसी होने का कोई प्रमाण कारण न दिया गया हो, तो इस अवधि के बाद दिया गया प्रार्थना पत्र रद किया जा सकता है ।

(ख) कोई क्वीलि, किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी, इन्स्पेक्टर या उपरोक्त अधिकारी या मजुरी से काम कर रहा कोई अन्य व्यक्ति कर्मचारी की ओर से शिकायत कर सकता है ।

(ग) एक कारखाने के मिलने व्यक्ति भी चाहे उजरतों के मिलने में देरी हो जाने के कारण एक ही प्रार्थना पत्र दे सकते हैं । या कोई अन्य व्यक्ति उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दे सकता है ।

(२१) अधिकारी द्वारा कारवाई :-

(क) अधिकारी क्वीलि हुई उजरतों की अत्यागी या भेद-बान्नी तौर पर की गई कर्टसी की कौसि करने की आज्ञा देने के अतिरिक्त कर्मचारी को भुआवला भी दितला सकता है ।

(ख) यदि किसी कर्मचारी ने या उसकी ओर से किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति ने प्रार्थना, कोई पत्र या अधीन कर रखी हो, और संश्लित अधिकारी या न्यायालय को यह निश्चय हो गया हो कि भासिक या अन्य व्यक्ति जो कि मजुरी देने के जिम्मेदार है इस अधिनियम के अन्तर्गत जो रकम उन से देने के लिए कही गई है, नहीं देने तो अधिकारी या न्यायालय, भासिक या उस व्यक्ति, जो कि उजरत देने का जिम्मेदार हो, कि जायदाद का जफता भाग, जो कि उसके विचार में, उस रकम की अत्यागी में जिसकी आज्ञा दी गई थी, पचाप होना, को कुर्क करने की आज्ञा दे सकता है । यदि शिकायत झूठी हो तो अधिकारी प्रार्थी पर ५0 रुपये तक जुर्मिनो कर सकता है और यह रकम भासिक को दिय जाने की आज्ञा दे सकता है ।

(२२) अधिकारी के विरुद्ध अपील : अधिकारी के विरुद्ध अपील ३0 दिन के अन्दर-अन्दर एक लिखित फार्म पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस प्रकार की जा सकती है :-

(क) उजरतें देने वाले द्वारा, यदि उसे जो रकम अदा करने की आज्ञा हुई है यह ३00 रुपये से अधिक है ।

(ख) कर्मचारी द्वारा, यदि उसकी या उसके साथ काम कर रहे अन्य व्यक्तियों की कुल रोक की गई उजरतें ५0 रुपये से ज्यादा बनती हो ।

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे झूटा प्रार्थना-पत्र देने पर जुर्मिनो देना-देने की आज्ञा दी गई हो ।

(२३) अधिनियम को तोड़ने की सजाएँ : किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिसने निश्चित समय तक उजरतें न दीं हो या उजरतों से भैर-कानूनी तौर पर कर्टसी की हो, पर ५00 रुपये तक जुर्मिनो हो सकता है, परन्तु अधिकारी या अधीने सुनने वाली अदालत की मंजूरी के साथ मुक्तमा धाराया गया हो ।

(२४) ऐसे उजरतें अदा करने वाले व्यक्ति, जिसने (क) उजरतें देने का समय निश्चित न किया हो, या (ख) भाल लगान की शकल में अत्यागी करता हो या (ग) इन नियमों को अपेकी में और कर्मचारियों की अधिकतर सख्या जिस भाषा में जाननी हो, उसमें कारखाने के मुख्या द्वारा अथवा उसके समीप नहीं लगता, या (घ) अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कुछ कानूनों को तोड़ना है, पर २00 रुपये तक जुर्मिनो हो सकता है । इस बारे में शिकायत केवल इन्स्पेक्टर या उसकी मंजूरी से की जा सकती है ।